भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1442
दिनांक 29 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

डेयरी किसानों हेतु सुविधाएं

1442.सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार ने सूखा-प्रवण तथा जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में उन्नत प्रजनन तकनीकों, वैज्ञानिक आहार पद्धतियों को अपनाने और दुग्ध उत्पादकता में सुधार लाने हेतु किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मवेशियों और मुर्गियों के रोग नियंत्रण, टीकाकरण और स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय पशुधन मिशन और अन्य प्रासंगिक योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पशुधन उत्पादकता, रोग पैटर्न और चारे की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर कोई अध्ययन कराया है या करवाया है, और यदि हाँ, तो उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) पशुधन क्षेत्र में जलवायु सुनम्यता विकसित करने के लिए, जैसे कि ऊष्मा-सहनशील नस्लों का प्रचार, सूखा-प्रतिरोधी चारा और पूर्व चेतावनी प्रणाली सहित कौन-कौन से उपाय लागू किए जा रहे हैं या प्रस्तावित हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो.एस.पी. सिंह बघेल)

(क) उन्नत प्रजनन तकनीकों, वैज्ञानिक आहार पद्धतियों को अपनाने और दूध उत्पादकता में सुधार लाने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए भारत सरकार ने सूखा-प्रवण और जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों सहित पूरे देश में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले जिलों में कवरेज बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन। इस घटक के अंतर्गत उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के सीमन से कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं किसानों के द्वार पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ii) बोवाइन पशुओं के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन हेतु बोवाइन इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक (IVF) का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन। इस तकनीक को अपनाने वाले डेयरी किसानों को उनके पशुओं के लिए प्रति सुनिश्चित गर्भाधान 5000 रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(iii) 90% से अधिक सटीकता के साथ बछड़ियाँ पैदा करने के लिए सेक्स-सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम। इस घटक के अंतर्गत, सुनिश्चित गर्भाधान पर सेक्स-सॉर्टेड सीमन की लागत का 50% तक प्रोत्साहन किसानों को उपलब्ध कराया जाता है।

(iv) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) योजना निम्नलिखित दो घटकों के साथ कार्यान्वित की जा रही है: (क) एनपीडीडी का घटक 'क' राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के सृजन /सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। (ख) एनपीडीडी योजना के घटक 'ख' "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन

अवसंरचना को उन्नत करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है।

(v) भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) का कार्यान्वयन कर रहा है। एनएलएम-ईडीपी के अंतर्गत पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, ऊँट और गधा प्रजनन फार्मों के साथ-साथ पशु आहार और चारा इकाइयों (भूसा (हे.)/साइलेज, कुल मिश्रित राशन, चारा ब्लॉक बनाने वाली इकाइयाँ, बीज ग्रेडिंग इकाइयाँ) की स्थापना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये तक 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(vi) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): एएचआईडीएफ पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान होती है।

(vii) पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से 1962 फार्मर्स ऐप बनाया है जो राशन संतुलन संबंधी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है और प्रोटीन, ऊर्जा और खनिजों का संतुलित सेवन सुनिश्चित करते हुए किसानों को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके पशु आहार को अनुकूलित (optimize) करने के बारे में शिक्षित करता है। लागत और उत्पादकता के संदर्भ में इष्टतम राशन संतुलन प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने में किसानों की सहायता के लिए राशन संतुलन की उपयोगिता के बारे में फील्ड कार्यकर्ताओं को भी बताया जा रहा है।

(viii) भारत सरकार ने पशुपालन और मत्स्यपालन करने वाले किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा का विस्तार किया है, जिसके अंतर्गत स्वामित्व/किराए/पट्टे पर शेड वाले किरायेदार किसान सहित व्यक्ति या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह पात्र हैं।

(ख) गोपशुओं और पोल्ट्री के रोग नियंत्रण, टीकाकरण और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए कार्यान्वित राष्ट्रीय पशुधन मिशन तथा पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत जारी/आवंटित निधियों का विवरण अनुबंध- I और II में दिया गया है ।

(ग) और (घ) पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पशुधन उत्पादकता, रोग पैटर्न और चारे की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग के पास कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता विकसित करने और डेयरी किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने हेतु पशुपालन और डेयरी विभाग, देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित कर रहा है। देशी गोपशु अपनी ऊष्मा सहनशीलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और चरम जलवायु परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन (climate warming) से कम प्रभावित होंगे।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसार रणनीतिक अनुसंधान और तकनीकी प्रदर्शनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनशीलता के प्रति भारतीय कृषि की सहनशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन-रोधी कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार परियोजना प्रारंभ की गई है। यह परियोजना फसलों, पशुधन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जलवायु-रोधी प्रौद्योगिकी के विकास और कार्यान्वयन पर केंद्रित है।

इसके अलावा, आईसीएआर-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (IGFRI), झांसी के अनुसार, नमी की कमी को सहन करने वाली कई स्थान-विशिष्ट चारा किस्में विकसित की गई हैं और विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए जारी की गई हैं। विकसित जलवायु-रोधी चारा किस्मों का विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

अनुबंध I

पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत जारी निधियों का राज्यवार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1	आंध्र प्रदेश	6009.28	1260.00	786.50
2	बिहार	0.00	0.00	0.00
3	छत्तीसगढ	0.00	75.00	50.00
4	गोवा	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	0.00	155.00	100.00
6	हरियाणा	0.00	407.50	975.00
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
9	झारखंड	0.00	64.00	0.00
10	कर्नाटक	0.00	250.00	725.00
11	केरल	0.00	0.00	50.00
12	मध्य प्रदेश	0.00	350.00	500.00
13	महाराष्ट्र	0.00	65.00	30.00
14	ओडिशा	446.00	0.00	250.00
15	पंजाब	369.66	0.00	0.00
16	राजस्थान	0.00	0.00	100.00
17	तमिलनाडु	0.00	0.00	150.00
18	तेलंगाना	0.00	0.00	50.00
19	उत्तर प्रदेश	0.00	100.00	771.00
20	उत्तराखंड	0.00	198.48	306.25
21	पश्चिम बंगाल	296.63	0.00	200.00
22	अरुणाचल प्रदेश	261.85	473.70	181.25
23	असम	0.00	0.00	0.00
24	मणिपुर	0.00	0.00	170.30
25	मेघालय	0.00	0.00	0.00
26	मिजोरम	0.00	201.99	0.00
27	नागालैंड	0.00	50.00	193.90
28	सिक्किम	93.21	93.21	0.00
29	त्रिपुरा	0.00	183.47	0.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
34	जम्मू और कश्मीर	675.35	0.00	250.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
37	लद्दाख	308.295	0.00	27.50

अनुबंध- II

पिछले 3 वर्षों में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्यवार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	80.00	0.00	84.50
2	आंध्र प्रदेश	1376.05	8534.26	7605.85
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	621.28	654.25
4	असम	558.47	2299.69	4696.50
5	बिहार	895.66	266.48	5481.63
6	चंडीगढ़	0.00	2.77	7.82
7	छत्तीसगढ	158.80	621.51	3488.98
8	दमन और दीव एवं दादरा नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
9	गोवा	0.00	78.11	94.56
10	गुजरात	0.00	5.80	1558.05
11	हरियाणा	2754.15	2203.77	5314.55
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	236.49	1405.67
13	जम्मू और कश्मीर	0.00	1099.81	1185.75
14	झारखंड	240.00	850.36	1796.97
15	कर्नाटक	532.04	2255.78	1900.00
16	केरल	466.15	5038.76	4677.62
17	लद्दाख	86.97	383.95	883.04
18	लक्षद्वीप	0.00	45.23	166.16
19	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	2381.47
20	महाराष्ट्र	352.73	11243.90	9232.00
21	मणिपुर	0.00	877.94	2518.57
22	मेघालय	314.01	271.32	660.01
23	मिजोरम	0.00	138.53	517.41
24	नागालैंड	135.34	268.09	340.77
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	101.13	84.51
26	ओडिशा	0.00	318.10	1240.09
27	पुदुचेरी	48.00	11.48	48.52
28	पंजाब	0.00	0.00	397.93
29	राजस्थान	0.00	635.11	5968.58
30	सिक्किम	232.57	251.07	312.61
31	तमिलनाडु	0.00	644.51	2259.60
32	तेलंगाना	0.00	0.00	400.00
33	त्रिपुरा	0.00	59.76	573.37
34	उत्तर प्रदेश	7339.84	19259.84	15076.02
35	उत्तराखंड	535.10	1998.69	1957.16
36	पश्चिम बंगाल	670.00	3639.00	4034.63

आईसीएआर-आईजीएफआरआई (**ICAR-IGFRI**) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूल चारा किस्मों का विवरण

क्र. सं.	फसल	किस्म	प्रारंभ करने का वर्ष	विशेष गुण	अनुशंसित राज्य
1.	**फोरेज पर्ल मिलेट (*खरीफ*, एकल कटाई)**	16एडीवी0111	2024	जैविक तनाव और सूखे के प्रति सहनशील	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड के मैदानी हिस्से , उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।
		एडीवी0061	2021	जैविक और अजैविक तनाव के प्रति सहनशील।	केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, कर्नाटक
2	**फोरेज पर्ल मिलेट (*ग्रीष्मकालीन*, मल्टी-कट)**	एडीवी0061	2021	जैविक और अजैविक तनाव के प्रति सहनशील।	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात
3.	**लुसेर्न**	आलमदार 51	2020	48-50ºC के उच्च तापमान अवस्था के लिए उपयुक्त	केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, कर्नाटक
4.	**सेटेरिया घास**	एस 25	2019	गिरने, पाले और सूखे की स्थिति के प्रति प्रतिरोधी	पंजाब और राजस्थान
5	**सेवन घास (*लैसियुरससिंडिकस)***	आरएलएसबी-11-50	2015	बीज से बीज तक (110 दिन) अत्यधिक सूखा सहनशील	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़